न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 136 / 2021

1. रामदयाल पुत्र नत्थी
2. किस्तूरी पत्नी लालाराम
3. सीमा पुत्री लालाराम जाति माली निवासी ग्राम मालीकी तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

असल प्रतिवादी

2. गंगा पत्नी नत्थी
3. ओमवती
4. लीला
5. धर्मवती } पुत्रीयान नत्थी
6. पूजा
7. सुषमा } पुत्रीया लालाराम नाबालिग जरिये बलि माता कस्तूरी पत्नी लालाराम
8. योगेश
9. अर्जुन } पिसरान लालाराम नाबालिग जरिये बल माता कस्तूरी पत्नी लालाराम जाति माली निवासी ग्राम मालीकी तहसील पहाडी

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादी

दिनांक :– 21 / 12 / 2021

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 72 मिन 0.69, 13 मिन 0.13, 14 / 1 / मिन / 0.11, 373 मिन / 0.42, 46 / 0.24, 47 मिन / 0.44, हाल खसरा नम्बर 112 / 0.69, 17 / 0.13, 24 / 0.11, 561 / 0.42, 71 / 0.24, 74 / 0.44 किता 6 रकबा 2. 03 हैक्टर बांके ग्राम मालीकी तहसील पहाडी में स्थित है। यह कि वादीगण व

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

प्रतिवादीगण के समान हक है। वक्त दावा दायरी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण तरतीवी प्रतिवादीगण पक्षकार बनाया गया है। आराजी मुतदाविया वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिस पर वादीगण मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड के कब्जा काश्त है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही वादीगण के बुजुर्गान धुदी वहैसियत खातेदार अपने जीवन काल तक काश्त करते रहे और धुदी के मरने के बाद आराजी विरासतन नत्थी के नाम आई अब नत्थी के वारिसान वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण मुताबिक हिस्सा आराजी पर गैर मौरोसी के रूप में काबिज काश्त है। आराजी मुतदाविया पर अब हाल में वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा व काश्त है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का नाम गैरखातेदार के रूप में चला आ रहा है जो खिलाफ कानून है। वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज कर देना चाहिये था। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कराकर खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है। वादीगण को दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादीगणी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 07/12/21 को वादीगण के दावा को स्वीकार करते हुये । जबाब पेश किया कि आराजी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादीगण के बुजुर्गान गैर मौरोसी के रूप में काबिज काश्त थे अब वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। मुताबिक कानून वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कर खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। उक्त आराजी धारा 16 के तहत नहीं आती है। मौके पर आराजी में फसल खडी हुई है । आराजी पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड किया जाना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है।

........वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

........वादीगण

3 :– दादरसी ।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 रामदयाल , पी0डब्लू02 कस्तूरी, के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2011–14, किता–3, सम्वत 2015–18 किता–3, 2019–22 2023–26, 2027–30, 2031–34, 2035–38, 2039–42, 2044–47, 2050–51, 2052–55, 2056–59, 2060–63, मिलान क्षेत्रफल पेश किये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या :– 1 आया आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2011–14 में आराजी वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान पांचा पुत्र रमलू की गैर मौरोसी की आराजी थी। पांचा के मरने के बाद आराजी विरासतन नत्थी पुत्र गिरधारी के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई है। जो कि नकल जमाबन्दी सम्वत 2019–22 से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। संलग्न रिकॉर्ड से साबित है कि आराजी वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। तहसीलदार पहाडी ने भी अपने जबाब में स्वीकार किया है कि आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या :– 2 आया आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा व काश्त है एवं आराजी धारा 16 के

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

अधीन नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

3. **दादरसी :–** तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर साविक 72 मिन 0.69, 13 मिन 0.13, 14/1/मिन/0.11, 373 मिन/0.42, 46/0.24, 47 मिन/0.44, हाल खसरा नम्बर 112/0.69, 17/0.13, 24/0.11, 561/0.42, 71/0.24, 74/0.44 किता 6 रकबा 2.03 हैक्टर बांके ग्राम मालीकी तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/12/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व मुकदमे इत्वादाई

(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)

[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 136/2021

1. रामदयाल पुत्र नत्थी
2. किस्तूरी पत्नी लालाराम
3. सीमा पुत्री लालाराम जाति माली निवारी ग्राम मालीकी तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिल भरतपुर

असल प्रतिवादी

2. गंगा पत्नी नत्थी
3. ओमवती
4. लीला
5. धर्मवती } पुत्रीयान नत्थी
6. पूजा
7. सुषमा } पुत्रीया लालाराम नाबालिग जरिये वलि माता कस्तूरी पत्नी लालाराम
8. योगेश
9. अर्जुन } पिसरान लालाराम नाबालिग जरिये वल माता कस्तूरी पत्नी लालाराम जाति माली निवासी ग्राम मालीकी तहसील पहाडी

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव वकील प्रतिवादीगण मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर साविक 72 मिन 0.69, 13 मिन 0.13, 14/1/मिन/0.11, 373 मिन/0.42, 46/0.24, 47 मिन/0.44, हाल खसरा नम्बर 112/0.69, 17/0.13, 24/0.11, 561/0.42, 71/0.24, 74/0.44 किता 6 रकबा 2.03 हैक्टर बांके ग्राम मालीकी तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है।

आज ..... X ...... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X ....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/12/. सन् 2021 को जारी की गई ।

दस्तखत ....

ओहदा उपखण्ड अधिकारी ....

पहाडी (भरतपुर)

मुहर ... पहाडी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	2.00		स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	1.00		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील)पर			महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक ...		
मीजान	4.00		मीजान		

Scanned with OKEN Scanner